संख्या- 06/2021/2054/52-2-2021-27(परिपत्र)/2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/अपर सर्वे आयुक्त वक्फ,

उ0प्र0।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 03 नवम्बर, 2021

विषयः- वक्फ सम्पत्तियों, जिनका अवैध तरीके से अंतरण/विक्रय किया गया है, को प्रक्रियाओं का पालन एवं दुरुस्त कर नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में पुनः वक्फ सम्पत्ति का इन्द्राज कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (पुलिस) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-यू0ओ0-3/छः-पु0-3-2021, दिनांक 23.02.2021 एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-054/बावन-2-2002-2(14)/2000, दिनांक 07.01.2003 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वक्फ सम्पत्तियों पर हो रहे अनाधिकृत कब्जों/अनधिकृत विक्रय पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

2- प्रश्नगत मामलों में शासन के संज्ञान में प्रायः यह तथ्य आ रहे है कि वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे के अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों में स्थानीय अधिकारियों, मुतवल्लियों एवं भू-माफियाओं द्वारा हेरा-फेरी की जा रही है। ऐसी वक्फ सम्पत्तियाँ जो वक्फ डीड के क्रम में आधार वर्ष 1359 फसली से भी पूर्व से संबंधित बोर्डो के वक्फ सम्पत्ति रजिस्टर एवं राजस्व अभिलेखों में वक्फ के रूप में दर्ज रही है, उनमें कालान्तर में मुतवल्लियों, विभागीय कर्मचारियों एवं राजस्व कर्मियों द्वारा परस्पर मिली-भगत कर वक्फ का नाम विलोपित करते हुए मुतवल्ली व उनके उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज कर लिया गया है। राजस्व अभिलेखों में उक्त प्रकार से हेरा-फेरी कर ऐसी वक्फ सम्पत्तियों का उ0प्र0 सुन्नी/शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना अनेक बार विक्रय/अंतरण कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप वक्फ सम्पत्ति को अत्यधिक क्षति कारित हुयी है।

3- अवगत कराना है कि राज्य में स्थित सभी जिलों/तहसीलों/गाँव/कस्बों/नगरों आदि में वक्फ डीड के क्रम में वक्फ के रूप में घोषित बहुत सी सम्पत्तियाँ है जिनकी प्रविष्टि सम्बन्धित वक्फ बोर्ड के अभिलेख रजिस्टर धारा-37 में होती है तथा जिसका विवरण सम्बन्धित वक्फ बोर्ड

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त वक्फ को प्रेषित किया जाता है किन्तु वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में वक्फ के नाम नामांतरित नहीं की गयी है।

4- इस संबंध में उक्त शासनादेशों की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित मुतवल्ली, वक्फ निरीक्षक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से समन्वय स्थापित कराते हुए वक्फ सम्पत्तियों का राजस्व अभिलेखों में नियमानुसार इन्द्राज कराने हेतु राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव

पृ0सं0- 2054(1)/52-2-2021-27(परिपत्र)/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव मा0 मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग उ0प्र0।

2-सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0।

3-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4-गृह(पुलिस) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

5- राजस्व अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।

6-पुलिस कमिश्नर लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर।

7-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

8-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/अपर सर्वे आयुक्त वक्फ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त उपनिदेशकों/समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को नियमित अनुश्रवण करते हुए समयबद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से समय पर शासन को भी अवगत कराये।

9-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ऐसी समस्त वक्फ सम्पत्तियों का विवरण जनपदीय अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए नियमित मासिक समीक्षा रिपोर्ट शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10-समस्त उपनिदेशक/समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/सहायक सर्वे कमिश्नर वक्फ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों से समन्वय/ सम्पर्क कर सम्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवाकान्त द्विवेदी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in